1. सेवाएं - पैन - परिचय

एनएसडीएल पूरे देश में फैले अपने टिन सहायता केन्द्रों (टिन-एफसी) और पैन केन्द्रों के जरिये (जून 2004 से) आयकर विभाग की ओर से पैन आवेदन पत्र स्वीकार करता है. इसके अलावा, एनएसडीएल अपनी ऑन-लाइन सुविधा के जरिये इंटरनेट के द्वारा पैन हेतु आवेदन करने की भी सुविधा प्रदान करता है.

पैन आवेदनों के प्रकार

आवेदन दो प्रकार के होते हैं:

1) पैन आबंटन के लिए आवेदन (फॉर्म 49ए)

इस आवेदन फॉर्म का उपयोग तब करना चाहिए जब आवेदक ने पैन के लिए कभी आवेदन ही न किया हो या उसे पैन आबंटित न किया गया हो. आवेदक को पैन आबंटित किया गया है या नहीं, इसके लिए उसे आईटीडी की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in देखनी चाहिए.

2) 'नये पैन कार्ड या/तथा पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए अनुरोध'

इस आवेदन फॉर्म का उपयोग तब करना चाहिए जब आवेदक को पैन पहले ही आबंटित किया जा चुका है और

- नये पैन कार्ड की जरूरत है या
- यदि पैन से जुड़े डेटा (अर्थात् आवेदक का नाम/ जन्म तिथि/ पता) को आईटीडी के रिकॉर्ड में अद्यतन करना हो. यदि पैन डेटा में कोई परिवर्तन हो, तो 'नये पैन कार्ड या/तथा पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए अनुरोध' फॉर्म को भर कर आईटीडी को सूचित करना चाहिए. आवेदक को नया पैन कार्ड उसी पैन के साथ जारी कर दिया जाता है लेकिन उसमें जानकारी अद्यतन होती है.

कैसे आवेदन करें

आवेदक या तो इस वेबसाइट के जरिये ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं या एनएसडीएल के किसी भी टिन-एफसी या पैन केन्द्र पर पैन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.

आवेदक को आवेदन फॉर्म भरने से पहले उसमें दिये गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों को पढ़ना चाहिए.

अपेक्षित दस्तावेज

आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए आवेदन के साथ आवश्यक समर्थित दस्तावेज (आयकर विभाग के नियम 114 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट) प्रस्तुत किये गये हैं. अपेक्षित दस्तावेजों का विस्तृत विवरण आवेदन फॉर्म में भी दिया गया है.

आवेदन फॉर्म कहां से प्राप्त करें

आवेदक आवेदन फॉर्म टिन-एफसी, पैन केन्द्र, ऐसे फॉर्म उपलब्ध कराने वाले किसी अन्य विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं या इस वेबसाइट से नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं. यदि आवेदक टिन-एफसी या पैन केन्द्र से ऐसे फॉर्म प्राप्त करते हैं तो उनसे अधिकतम 5 रु. लिये जा सकते हैं.

पत्र-व्यवहार

प्रस्तुत फॉर्म के डिजिटाइजेशन के बाद एनएसडीएल आवेदन के विवरण आयकर विभाग (आईटीडी) को भेज देता है.

पैन आबंटन के लिए आवेदन (फॉर्म 49ए) के मामले में आईटीडी द्वारा नया पैन आबंटित कर दिया जाता है. आईटीडी द्वारा पैन आबंटन करने के बाद एनएसडीएल पैन कार्ड प्रिंट करता है और आबंटन पत्र के साथ इसे संबंधित आवेदक को भेज देता है.

'नये पैन कार्ड या/तथा पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए अनुरोध' के मामले में डेटाबेस को अद्यतन करने के लिए आवेदन को आईटीडी के पास भेज दिया जाता है और आईटीडी से पुष्टि प्राप्त होने के बाद नया पैन कार्ड प्रिंट किया जाता है और आवेदक को भेज दिया जाता है.

सभी पत्र फॉर्म में दिये गये पते 'पत्र-व्यवहार के लिए पता' पर भेजे जाते हैं. जिन आवेदकों ने आवेदन में वैध ई-मेल आईडी भी लिखा है, उनको पैन आबंटन पत्र के साथ-साथ ई-मेल के द्वारा नये पैन के बारे में सूचित किया जाता है. आवेदकों को आवेदन फॉर्म में अपना टेलीफोन नंबर (अधिमानत: मोबाइल नंबर) लिखने के लिए सलाह दी जाती है. आवेदन में किसी प्रकार की विसंगति होने पर संप्रेषण का यह तीव्र साधन है.

अनिवासी भारतीयों द्वारा पैन आवेदन

अनिवासियों द्वारा पैन आवेदन के लिए नये दिशानिर्देश - नया पैन आवेदन
अनिवासियों द्वारा पैन आवेदन के लिए नये दिशानिर्देश - परिवर्तन हेतु अनुरोध

स्थिति की जांच

आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने के तीन दिन बाद 'स्टेट्स ट्रैक' सुविधा का उपयोग कर 15 अंकीय अनूठी प्राप्तिसूचना संख्या के द्वारा अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं. इसके अलावा, आवेदक आवेदन की स्थिति के बारे में जानने के लिए टिन काल सेन्टर

में 022-24994650 पर टेलीफोन कर सकते हैं. पैन <अपने 15 अंकीय प्राप्ति सूचना नंबर> को 53030 पर एसएमएस करके भी पैन आवेदन के बारे में पता लगा सकते हैं.

फीस

यदि पत्र-व्यवहार का पता भारत का है तो पैन आवेदन की प्रोसेसिंग फीस 94 रुपये (85 रु. + 10.30% सेवा शुल्क) है.

यदि पत्र-व्यवहार का पता भारत के बाहर का है तो फीस 744 रु. [आवेदन फीस 94 रु. (85 रु. + 10.30 % सेवा शुल्क) + भेजने का खर्च 650 रु.] है.

पैन कार्ड कितना जल्दी भेजा जाता है.

यदि आवेदन बिलकुल सही हो तो प्राय: आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए 15 दिन लगते हैं (सीआर की स्थिति में 25 दिन).